महिला शक्ति के नए आयाम

आज की नारी घर की चार दीवारी से निकलकर अनेक नई दिशाओं में कदम बढ़ा रही है। इनमें से एक क्षेत्र 'पुलिस सर्विस' का है। कांस्टेबिल से उच्च पुलिस अधिकारी तक के पदों पर औरतें पहुंच चुकी हैं।

1972 में सुश्री किरन बेदी पहली महिला पुलिस अफसर बनीं। तब से संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सर्विस के 1988 के समूह में 125 अफसरों में 7 औरतें थीं। उनकी ट्रेनिंग पुरुषों के साथ ही होती है। कठिन मानसिक व शारीरिक प्रशिक्षण में औरतें खरी उतरी हैं।

महिला पुरुष अफसरों ने ट्रेनिंग में और उसके बाद कार्य-प्रदर्शन में निःसंदेह साबित कर दिया है कि वे शारीरिक मजबूती, कानून और व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण स्थिति, अपराध रोकने व जांच-पड़ताल आदि कार्यों में पुरुषों से पीछे नहीं हैं।

महिला पुलिस पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर समाज कल्याण कार्य भी कर रही हैं। जब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वयंसेवी कार्य ब्यूरो की स्थापना औरतों के प्रति अपराध, दहेज व अन्य कारणों से उन पर अत्याचार रोकने के लिए की तो कई उच्च महिला पुलिस अधिकारी उससे जुड़ गईं। सुश्री किरन बेदी ने अपराधियों के परिवारों और अपराधियों की पुनर्स्थापना के लिए विशेष कार्य किया। उन्होंने नशाबंदी कम करने की दिशा में भी कार्य किया। यहां तक कि देश के अनेक स्थानों पर धतूरे के पौधों को नष्ट करने का काम किया।

उड़ीसा के एक गांव के मुखिया ने एक पुलिस अफसर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी की हत्या कर दी। कुछ महीने तक कार्यवाही आगे न बढ़ पाई, फिर डी.आई.जी. के आदेश से सब-इंस्पैक्टर श्रीमती शांति देवी चूड़ी बेचने वाली का भेष बनाकर गांव में आई और अपराधी को पकड़वाने में सफल हुई।

उड़ीसा में ही एक अन्य मामले में सी.आई.डी. की अपराध शाखा की एक महिला पुलिस अफसर ने लड़कियों से वैश्यावृत्ति कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह यहां से लड़कियां पंजाब के गुरदासपुर जिले में ले जाकर बेच देता था जहां उनसे वैश्यावृत्ति कराई जाती थी। पांच लड़कियों को छुड़ाकर उनके घर पहुंचाया गया। महिला पुलिस अधिकारियों ने इन लड़कियों को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में भी मदद दी। कुछ लड़कियों की शादी भी कराई जो अब सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही हैं।

जुल्मों के ख़िलाफ़

स्त्रियों पर बढ़ती हिंसा के कारण महिला पुलिस बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आए दिन थानों तक में उन पर हुए अत्याचार व बलात्कार की खबरें आती रहती हैं। पिछली 4 नवंबर 1989 को एक सब-इंस्पैक्टर और दो कांस्टेबिलों को नौकरी से मुअत्तल करने की खबर छपी, क्योंकि उन्होंने पुलिस थाने के पूछताछ वाले कमरे में निर्मला नामक स्त्री के साथ बलात्कार किया।

मध्यप्रदेश के एक गांव की लड़की निर्मला सात महीने पहले दिल्ली आई थी। वह हरीराम नामक व्यक्ति के साथ, जो धौलाकुआं के एक ढाबे में काम करता है, रहती है और कई घरों में काम करती है। 1 नवंबर को पुलिस ढाबे में किसी झगड़े का

निबटारा करने आई और कई लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। अधिकतर लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया, पर निर्मला को उन्होंने रोक लिया और फिर यह घटना घटी।

इस तरह की घटनाएं देश के अनेक भागों में होती रहती हैं। भय से गांववाले रपट नहीं लिखवाते हैं और स्त्रियां जुल्म सहती रहती हैं।

भारत में औरतें पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं, पर उनकी संख्या अभी नहीं के बराबर है। समूचे देश में पूरी पुलिस फोर्स में सिर्फ 0.04 प्रतिशत औरतें हैं, जबकि हर गांव, हर शहर और थाने में महिला पुलिस की जरूरत है।

1939 में भारत में पहली बार केरल में महिला पुलिस फोर्स की स्थापना हुई। 12 महिला पुलिस कांस्टेबिल और उनकी एक हैड कांस्टेबिल थी। केरल के ही कालीकट नगर में 28 अक्तूबर 1973 को भारत का, शायद विश्व का, पहला महिला पुलिस थाना खुला जिसमें सब औरतें थीं। एक औरत सब-इंस्पैक्टर, 2 औरतें हैड कांस्टेबिल और 10 औरतें कांस्टेबिल थीं।

राजस्थान में पहला और भारत में तीसरे नंबर का पूरी तरह औरत पुलिस थाना 1989 के शुरू में जयपुर के गांधीनगर क्षेत्र में खुला है। धौलपुर व अन्य स्थानों पर भी महिला पुलिस थाने खोलने की योजना है। स्त्री अपराधियों को पकड़ने के अलावा वे महिला संगठनों की कल्याण-योजनाओं से भी जुड़ी रहेंगी और औरतों की समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश करेंगी।

देश की आजादी के तुरंत बाद 1948 में पंजाब में 7 महिला पुलिस सब-इंस्पैक्टर और 35 महिला कांस्टेबिलों की भर्ती की गई। अब हर राज्य में कमोबेश महिला पुलिस विभाग है। उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख नगरों—लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा में 1974 में महिला पुलिस विभाग खुले। राजस्थान में 1960 में, हरियाणा में 1966 में, तमिलनाडु में 1973 में, प० बंगाल में 1960 में और दिल्ली में 1948 में महिला पुलिस विभाग काम करने लगे।

स्त्री पुलिस के काम

निचले पुलिस ओहदों पर स्त्री पुलिस को ये काम करने होते हैं :—

1. स्त्रियों और बच्चों पर किए अपराधों की जांच।
2. लापता स्त्रियों और बच्चों को ढूंढने का काम। वैश्यालयों से नाबालिग लड़कियों को छुड़ाना और उन्हें नारीगृहों में पहुंचाना और अपहरण की गई स्त्रियों और बच्चों को छुड़ाना।
3. गुप्त सूचनाएं जमा करना।
4. बच्चों व महिला अपराधियों से पूछताछ करना।
5. अपराधी स्त्रियों और बच्चों को गिरफ्तार करना, उनकी तलाशी लेना और उनके साथ थाने जाना।
6. हवाई अड्डों पर औरतों की सुरक्षा जांच करना।
7. स्त्रियों और बच्चे यात्रियों की हवाई अड्डों, बड़े रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर सहायता करना।
8. सीमा चैक पोस्टों पर स्त्रियों की तलाशी लेना।
9. मेलों, त्यौहारों और तीर्थ-स्थानों पर स्त्रियों और बच्चों की सहायता करना।
10. स्त्रियों द्वारा धरना और राजनैतिक व श्रमिक प्रदर्शनों में महिला प्रदर्शनकारियों से बरतना।
11. स्त्रियों की मीटिंगों और जुलूसों में व्यवस्था रखना।
12. उच्च पदाधिकारियों की सुरक्षा का भार।
13. पारिवारिक खोज और घरों में तलाशी आदि।
14. भागी हुई लड़कियों, स्त्रियों और वैश्याओं को फिर से बसाने में सामाजिक संगठनों और प्रोबेशनरी अधिकारियों की मदद करना।
15. स्त्रियों और बच्चों की सड़क पार करने में सहायता करना।

16. पुलिस महिलाओं को लोक सेवा कार्य भी सौंपे जाते हैं जिन्हें उन्होंने बखूबी किया है।

कई साल पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि पुलिस विभाग में और ज्यादा स्त्रियों की भर्ती की जाए और यह भी कहा था कि उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामलों में महिला पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस महिलाओं की ट्रेनिंग पुरुषों की तरह ही होनी चाहिए जिससे वे पूरी क्षमता से काम कर सकें।

पांच साल पहले पुलिस खोज और विकास ब्यूरो ने थानों में महिला विभाग की जरूरत बताई थी, खासकर औरतों पर हुए अत्याचार के मामलों में। ब्यूरो ने सुझाव दिया था कि सताई औरतों के स्वयं थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाने के बजाए दस्ती या 'तुरंत डाक सर्विस' से थाने में रपट भेजने की व्यवस्था चालू की जाए। उस रपट को प्राथमिक सूचना (एफ.आई.आर.) मानी जानी चाहिए। देश के कुछ भागों में समिति की रिपोर्ट मानकर उसके अनुसार काम होने लगा है। दिल्ली में स्त्री अपराध विभाग की महिला पुलिस पति और पत्नी के बीच समझौता कराने का काम कर रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस में स्थित लीगल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और वकील मुहैया किए जाते हैं।

जितनी अधिक स्त्रियां पुलिस में भर्ती होंगी, उतनी ही अधिक वे अपनी रक्षा कर पाएंगी और कमजोर औरतों की रक्षा कर सकेंगी।

पैरा-मिलिटरी बटालियन

1987 में देश का पहला पैरा-मिलिटरी बटालियन बना जिसमें औरतें भी शामिल की गईं। दिल्ली की कांता और हरियाणा की सुशीला (जो विधवा हैं) का कहना है कि भर्ती के बाद घर और बाहर दोनों स्थानों पर उनका सम्मान बढ़ा है। पहले उन्हें घर में इज्जत नहीं मिलती थी। उत्सव और खुशी के अवसरों पर उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, पर अब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है।

उनकी ट्रेनिंग पुरुषों के साथ समान रूप से हुई। वे 2 क्विंटल गेहूं का बोरा 20 गज दूर तक उठाकर ले जाती हैं। जब मई 1987 में मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए तब इन्हें अपनी कार्यक्षमता दिखाने का अवसर मिला। उनकी ट्रेनिंग तभी खत्म हुई थी। स्थानीय प्रशासन उन्हें वहां भेजने में हिचक रहा था। वहां पहुंचने पर भी दो दिन तक उन्हें रिजर्व पुलिस में थाने पर रखा गया, पर तीसरे दिन सेना ने घरों की तलाशी के सिलसिले में उनकी मदद मांगी। पहले दिन ही इन्होंने हाशिमपुरा क्षेत्र में जहां दंगे शुरू हुए थे, दो राइफिलें बरामद कीं। उनके रहने से तलाशी का काम ज्यादा अच्छी तरह और शांतिपूर्ण ढंग से हो सका। घरवालों को भरोसा था कि जोर-जबर्दस्ती या गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा।

उसी दिन जब वे तोपखाना बाजार से घरों की तलाशी लेकर वापिस आ रही थीं, उनमें से एक की नजर अकेली जगह पड़े लोहे के एक बक्से पर पड़ी। उन्होंने जब ताला तोड़ने की धमकी दी तब घर के नौकर ने चाभी लाकर दे दी। बक्से में से 12 बड़ी बंदूकें, दो दूरबीनी राइफिलें, एक पिस्तौल, चार टाइम बम, पांच पासपोर्ट और काफी गोलियां और बारूद बरामद हुआ। एक मौहल्ले में एक लड़के ने उनके साथ कुछ बदतमीजी की तो उनके डांटने पर वह खिसियाकर भाग गया और अपने साथियों से जाकर बोला कि महिला पुलिस की डांट खाना पुरुष पुलिस की मार से ज्यादा खराब है।

श्री लंका में भी महिला बटालियन का एक दस्ता पुरुषों के साथ गया और वहां भी वह परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुआ है।

—केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'सोशियल वैलफेयर' के लेख पर आधारित